

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जी0वी0के0-ई0एम0आर0आई0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2017

विषय:-181-वूमेन हेल्पलाइन स्कीम के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संचालन प्रक्रिया (प्रोटोकॉल) का निर्धारण।

महोदय,

अवगत हैं कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा 181 वूमेन हेल्पलाइन के रूप में अनोखी पहल की गयी है। 181, एक टोल फ्री नं0 है, जो 24X7 घण्टे कार्य करता है। वूमेन हेल्पलाइन पर कोई भी महिला एवं बालिका जो विषम परिस्थितियों से ग्रस्त हो अथवा उसको अन्य किसी भी प्रकार की समस्या या आवश्यकता की पूर्ति हेतु सलाह अथवा सहायता की आवश्यकता हो, टोल फ्री नं0 पर कॉल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह स्कीम प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित है, जिसका केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर लखनऊ में है। वूमेन हेल्पलाइन के साथ जी0पी0एस0 सिस्टम युक्त रेस्क्यू वैन को भी सम्बद्ध किया गया है। 181 महिला रेस्क्यू वैन का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को तत्काल सुरक्षा देते हुये आवश्यक चिकित्सीय एवं पुलिस सेवायें प्रदान करना है।

2. 181-वूमेन हेल्पलाइन स्कीम के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संचालन प्रक्रिया-प्रोटोकॉल (छायाप्रति संलग्न) का निर्धारण किया गया है। तत्कम में यह अनुरोध है कि कृपया प्रोटोकॉल में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु कृपया सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,


(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3041 (1)/60-3-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
3. निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
4. महिला कल्याण निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।